# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2123/अका./का.प./03 रायपुर, दिनांक 12 दिसंबर, 2003

## दिनांक 27.11.2003 को आहूत
## कार्यपरिषद की आपातिक बैठक का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 27.11.2003 को 5.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

उपस्थित सदस्य :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो. बी.पी. चन्द्रा, कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. एम.एल. नायक | - | सदस्य |
| 3. | डॉ. ओ.पी. वर्मा | - | सदस्य |
| 4. | डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी | - | सदस्य |
| 5. | डॉ. शैलेन्द्र सराफ | - | सदस्य |
| 6. | डॉ. डी.के. कटारिया | - | सदस्य |
| 7. | डॉ. युगल भारती | - | सदस्य |
| 8. | श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. ए.के. बंसल | - | सदस्य |
| 10. | डॉ. (कु.) हेमलता महोबे | - | सदस्य |
| 11. | डॉ. ए.सी. जैन | - | सदस्य |
| 12. | श्री ए. मिंज, कुलसचिव | - | सचिव |

सर्वप्रथम कुलपति जी द्वारा नवनियुक्त कार्यपरिषद के सदस्यों का स्वागत कार्यपरिषद की तरफ से किया। उसके पश्चात् कार्यपरिषद के सदस्यों ने एजेण्डा के बारे में आपत्ति की कि विषय-सूची उपकुलसचिव अकादमिक के हस्ताक्षर से कैसे जारी किया गया। विषय-सूची कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाए। उपकुलसचिव अकादमिक को कार्यपरिषद द्वारा चेतावनी दिए जाने हेतु निर्णय लिया गया।

पद क्रमांक 1. छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6 के अनुसार विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने अधीन समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों पर नियंत्रण रखे। विश्वविद्यालय परिनियम 27 के तहत शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को कक्षा एवं समस्त विषयों हेतु विश्वविद्यालय से संबद्धता लिया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् ही उस कक्षा एवं उन विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश एवं परीक्षा लेने की अधिकारिता है।

हाल ही में प्रकरण सामने आए हैं कि कुछ शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्धता लिए बगैर ही छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिये हैं एवं परीक्षा आवेदन-पत्र परीक्षा विभाग में जमा करके महाविद्यालयों में परीक्षा कराए हैं। उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी घोषित हो चुका है। उपरोक्त अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार

कक्षा एवं विषयों की संबद्धता आवश्यक है। ऐसे विषयों में न तो राज्य शासन से एन.ओ.सी. ली गई है, और न ही विश्वविद्यालय में संबद्धता शुल्क जमा करके संबद्धता हेतु निरीक्षण समिति गठित की गई है। बिना निरीक्षण प्रतिवेदन के न तो ऐसे प्रकरण विद्या परिषद की स्थाई समिति और न ही कार्य परिषद से अनुमोदित है। इसके अभाव में विषयों की संबद्धता भी जारी नहीं की गई है।

निर्णय : संबद्धता के संबंध में 18 महाविद्यालयों को पत्र लिखा जाए और संबद्धता-शुल्क जमा करने के लिए बीस दिन का समय दे कर निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाए।

पद क्रमांक 2. विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 12.11.2003 को हुई थी, इसका कार्यवृत्त परिशिष्ट (क) संलग्न है, जिसका कि कार्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन किया जाना है।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

पद क्रमांक 3. अंकेक्षण-प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पर आवासीय अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में कार्य परिषद द्वारा विचार किया जाना है।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

पद क्रमांक 4. परीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में अशासकीय महाविद्यालयों के गैरशैक्षणिक तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों ने मांग की है कि विद्यमान दर 15 वर्ष पुरानी है अत: सत्र 2003-04 से नया दर लागू किया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

| क्र. | मद | विद्यमान दर | प्रस्तावित दर |
|---|---|---|---|
| 1. | परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रेषण | 10=00 | 20=00 |
| 2. | अंकसूची वितरण | 1=00 | 5=00 |
| 3. | परीक्षा आवेदन-पत्र विक्रय | 00 =25 | 2=00 |
| 4. | रिस्क एलाउंस | 1=00 | 10=00 |
| 5. | परीक्षा पारिश्रमिक देय | | |
| | अ. तृतीय श्रेणी कर्मचारी | 1=00 | 5=00 |
| | ब. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1=00 | 5=00 |
| | स. प्रायोगिक कार्य में संलग्न कर्मचारियों को | 1=00 | 5=00 |

निर्णय : परीक्षा पारिश्रमिक बिना सूचना के रख दिया गया है, आगामी बैठक में रखा जाए।

पद क्रमांक 5. The Meeting of the Instrument Condemnation Commitee, School of Life Sciences, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur was held in the Chamber of the Head of the Department, School of Life Sciences on 7.11.03. This Committee inspectd Shimadzu UV-vis Recording Spectrophotometer, Model UV-160A Purchassed in the Session 1990-91 (Original Purchase Price Rs. 1,46,850=00) carefully and found that the instrument is not in a position to be repaired. In addition the instrument is outdated. This committee therefore has recommended condemnation of this instrument.

निर्णय : इंस्ट्रूमेंट को कंडेमनेशन किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

पद क्रमांक 6. विश्वविद्यालय मुद्रण प्रयोगशाला में वर्तमान में इम्प्रेस्ट राशि से मात्र 250=00 रु. की क्रय की सीमा निर्धारित है, जिससे स्याही, स्टेपलर, स्टेपल पिन, कार्ड शिट, लिफ़ाफ़ा इत्यादि सामान क्रय करने में दिक्कत होती है। अत: प्रस्तावित है कि क्रय सीमा की राशि 250=00 से बढ़ा कर रु. 1000=00 की जावे।

निर्णय : मुद्रण प्रयोगशाला के लिए इम्प्रेस्ट से सिंगल आयटम में क्रय करने की सीमा रु. 250/– से बढ़ा कर रु. 500/– किया जाए।

पद क्रमांक 7. विधि अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि वर्तमान में मात्र 500=00 रु. है। अत: इसकी वृद्धि हेतु विभागाध्यक्ष ने 2000=00 रु मांग की है।

निर्णय : विधि अध्ययनशाला की स्थाई अग्रिम रु. 500/– से बढ़ा कर रु. 1000/– किया जाए।

पद क्रमांक 8. स्थानीय (विश्वविद्यालय परिसर से बाहर) शिक्षकों एवं कर्मचारियों को यातायात भत्ता वर्तमान में मात्र रु. 25=00 दिया जाता है, जो अध्यादेश 10 के अनुसार लागू है। देवि अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर एवं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में शिक्षकों हेतु 100=00 रु. एवं कर्मचारियों हेतु 50=00 रु. निर्धारित की गई है, अत: प्रस्तावित है कि यहाँ भी इसी दर को लागू किया जावे। तद्नुसार अध्यादेश क्र. 10 के कंडिका 2 में संशोधन किया जावे।

निर्णय : प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाए।

पद क्रमांक 9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने पत्र क्रमांक 11013/103003 – एस.सी.डी.आई. दिनांक 16 दिसंबर 2003 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में मिडिल स्कूल हायर सेकेण्डरी, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण करने का प्रस्ताव

राज्य शासन एवं 10% राशि विश्वविद्यालय को वहन करना होगा। अत: छात्रावास निर्माण की कुल राशि का 10% राशि विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने के लिए स्वीकृतार्थ प्रस्तुत। निकट भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटि इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नालॉजी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ए.आई.सी.टी.ई. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस संस्थान के प्रारंभ होने से इस संस्था में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए इस छात्रावास की सुविधा दी जा सकेगी। प्रस्तावित छात्रावास का निर्माण विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग स्टाफ सर्कल के पास रिक्त स्थल पर किया जा सकता है।

निर्णय : प्रस्ताव को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाए

पद क्रमांक 10. वार्षिक परीक्षा वर्ष 2003-04 के लिए उत्तर पुस्तिका निर्माण मात्र 78.620 मिट्रिक टन में प्रयुक्त होने वाले कागज़ सफ़ेद क्रीम व्होव 60 जी.एस.एम. क्रय किया जाना है। इस हेतु दैनिक समाचार पत्र नवभारत के माध्यम से कागज़ निर्माता मिल्स से खुली निविदाएँ आमंत्रित की गई, जिसके विरुद्ध तीन निर्माता कागज़ मिल्स से निविदाएँ प्राप्त हुई : -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मेसर्स कनोई पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज, बिलासपुर | 31,500/- |
| 2. | मेसर्स नचिकेता पेपर मिल्स, चंडीगढ़ | 31,000/- |
| 3. | मेसर्स इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, कोलकत्ता | 32,347/- |
| | | - 700/- |
| | | 31,647/- |

उक्त तीनों सील बंद निविदाओं को केन्द्रीय क्रय समिति के समक्ष खोल कर तुलनात्मक विवरण पेश किया गया, जिनमें से नचिकेता पेपर मिल्स चंडीगढ़ एवं कनोई पेपर मिल्स बिलासपुर के दर न्यूनतम पाए गए, किन्तु गुणवत्ता में कागज़ का नमूना न्यून पाया गया। उक्त कागज़ का प्रयोग करने पर परीक्षार्थियों को लिखने में असुविधा होगी। मेसर्स इमामी पेपर मिल्स कोलकाता के द्वारा प्रस्तुत नमूना गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम पाया गया। चूँकि इमामी पेपर मिल्स के द्वारा निर्मित कागज की गुणवत्ता अच्छी है एवं कीमत 32,347 रुपये प्रतिमिट्रिक टन है अत: निगोशियेशन द्वारा 700/- रुपये प्रतिमिट्रिक टन कम कराया गया है। कागज सफेद चिकना तथा स्याही से लिखने पर स्याही न फैलने जैसी समस्त गुणों से युक्त है तथा उपरोक्त मिलों के दर तुलना करने पर मात्र 147.00 रुपये प्रति मिट्रिक टन अधिक है केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए सफेद क्रीम व्होव पेपर 60 जी.एस.एम. कागज मेसर्स इमामी पेपर मिल्स कोलकाता से गुणवत्ता के आधार पर क्रय किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार क्रीम व्होव पेपर 60 जी.एस.एम. का मूल्य रुपये 32,347= प्रति मिट्रिक टन में रु. 700 - प्रति मिट्रिक टन छूट का लाभ काट कर रुपये 31,647.00 प्रति मिट्रिक टन दर से कुल 78.620 मिट्रिक टन कागज़ का कुल मूल्य 24,88,087.00 व्यय की अनुशंसा की गई।

अत: केन्द्रीय क्रय समिति के दिनांक 17.11.2003 की बैठक में उपरोक्तानुसार की गई अनुशंसा के आधार पर कुल रु. 2488087.00 (अक्षरी रु. चौबीस लाख अट्ठासी हज़ार सत्यासी मात्र) की स्वीकृति प्रस्तावित

उत्तर पुस्तिका हेतु बजट में 25.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

निर्णय : इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड से सफ़ेद क्रीम व्होव 60 जी.एस.एम. क्रय किया जाना स्वीकार किया गया।

पद क्रमांक 11. वित्तीय वर्ष 2003–04 के वार्षिक बजट में नेटवर्किंग स्थापना के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया।

निर्णय : वी. सेट की नेटवर्किंग के लिए 10 लाख रुपए उपस्कर मद से पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई।

पद क्रमांक 12. कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 07.04.2000 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से आदेश क्रमांक 1753/सा.प्रशा./2000 दिनांक 13.04. 2000 के द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से निलंबित किया गया।

| क्र. | नाम | निलंबन का कारण |
|---|---|---|
| 1. | श्री एम.आर सपहा<br>कनिष्ठ अधिक्षक | छात्रों की विधि विरुद्ध ढंग से फ़र्ज़ी अंकसूची कर देने में सहभागी होने के कारण तथा पद का दुरूपयोग करने के कारण। |
| 2. | श्री प्रकाश ठाकुर<br>नि.व.लि. | फ़र्जी अंकसूची तैयार कर देने में सहभागी होने के कारण तथा पद का दुरूपयोग करने के कारण। |
| 3. | श्री नितिश तिवारी<br>नि.व.लि. | छात्र के रूप में परीक्षा फ़ार्म के साथ फ़र्ज़ी अंकसूची प्रस्तुत करने के कारण। |

निलंबित कर्मचारियों को आरोप पत्र आदि दिये गये हैं। डॉ. आर.डी. हेलोडे, मनोविज्ञान अध्ययनशाला को जाँच अधिकारी और डॉ. सुरेश मोहन, वरिष्ठ अधिक्षक को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा (सहायक कुलसचिव् की ओर से) श्री नितिश कुमार तिवारी के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1154 दिनांक 30.03.2000 द्वारा फ़र्ज़ी अंकसूची प्रस्तुत करने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज़ किया गया था, अन्य कर्मचारी सर्व श्री एम.आर. सपहा एवं श्री प्रकाश ठाकुर के विरुद्ध में कोई प्रथम सूचना पुलिस थाना सरस्वती नगर में दर्ज़ नहीं है। थानेदार भारतीय दंड विधान के अंतर्गत श्री नितिश तिवारी के विरुद्ध में ही न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष चालान पेश किया है। न्याय दंडाधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2001 से 06.082003 तक आदेश की सत्प्रतिलिपि प्रमाणित पेश किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री नितिश तिवारी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में न्यायालय में प्रकरण दर्ज़ नहीं है। विभागीय जाँच भी पूर्ण हो गई है और सुनवाई आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही है। चूँकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और केवल दो ही कर्मचारियों को छोड़ कर सिर्फ श्री नितिश तिवारी के खिलाफ़ ही न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण विचारधीन है तथा कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर ही निलंबन किया गया था।

## अध्यक्ष की अनुमति से

पद क्र. 13 : डॉ. नितिन मलिक के त्यागपत्र पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. नितिन मलिक का त्यागपत्र 03.04.2003 से स्वीकार किया जावे।

पद क्रमांक 14. विश्वविद्यालय यंत्री के कार्यकाल बढ़ाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय यंत्री के प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद में रखा जाए। वर्तमान में आचार संहिता लागू है।

पद क्र. 15 : विश्वविद्यालय से संबंधित सूचना या अधिसूचना प्रसारित करने के संबंध में।

निर्णय : सम्माननीय सदस्य श्री भागवत चंद्राकर ने अध्यक्ष महोदय को स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार जो विषयांकित के संबंध में श्री विक्टर एक्का द्वारा प्रकाशित कराये जाने संबंध में चिंता व्यक्त की और अध्यक्ष ने इस संबंध में श्री एक्का को बुला कर पूछताछ की उसने मौखिक रूप से अपना स्पष्टीकरण देते हुए आरोपों को इंकार किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की एवं निर्णय लि कि श्री विक्टर एक्का उपकुलसचिव अकादमिक को चेतावनी दी जाय और भविष्य में समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले तथ्यों को पी.आर.ओ. के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया।

पद क्र. 16 : गोकुलदास प्रमिला डागा महाविद्यालय में नियुक्ति के संबंध में।

निर्णय : गोकुलदास डागा महाविद्यालय के प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद मे रखा जाए।

अंत में कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.क्र. 2124/अका./का.प./03 रायपुर, दिनांक 12 दिसंबर, 20

प्रतिलिपि :

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),

02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
04. डॉ. एस. सराफ, फ़ार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. डॉ. अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
06. डॉ. एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साइंस अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
07. डॉ. ओ.पी. वर्मा, आचार्य, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
08. प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा, रायपुर,
09. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग,
10. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर,
11. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,
12. श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक (पलारी क्षेत्र), बी-4, अयोध्या अपार्टमेंट, रायपुर,
13. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर,
14. डॉ. डी.के. कटारिया, शास. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर,
15. अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी. महाविद्यालय, कांकेर,
16. डॉ. (कु.) हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
17. डॉ. जी.एल. मूँदड़ा, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
18. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
19. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव